



2026:AHC:26528-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) सं. - 26 सन् 2026

श्री भगवान और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : मंगल राय, सत्येंद्र प्रताप सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : जगदीश पाठक(एस.सी.), वरुण देव शर्मा

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर जनहित में दायर की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत दुबारी, विकास खंड-फतेहपुर मंडावन, तहसील-मधुबन, जिला-मऊ की आंगनवाड़ी कार्यवाहक द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति न होने के मामले में एक जांच समिति के गठन की मांग की गई है।

2. प्रस्तुत किया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र के श्रमिक, जिन्हें लाभार्थियों को खाद्यान्न की आपूर्ति करने की आवश्यकता है, ने डिफेल्केटेड कर दिया है और अनाज खुले बाजार में बेचा गया था और लाभार्थियों को आपूर्ति नहीं की गई थी और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला-मऊ द्वारा एक जांच की गई, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लगाए गए आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत थे और याचिकाकर्ता संख्या 1-भगवान श्रीमती शांति देवी का दामाद है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से एक है, जिसका अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद है, अर्थात्, श्रीमती शांति देवी की बेटी और इस तरह के विवाद के कारण अपनी सास और अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठी शिकायतें कर रही है। इस बात के भी संकेत दिए गए हैं कि याचिकाकर्ता उक्त गांव का निवासी भी नहीं है।

3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि चूंकि तथ्य याचिकाकर्ता के संज्ञान में आए हैं, इसलिए उन्होंने याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ मिलकर गलत काम के संबंध में शिकायतें की हैं और इसलिए, इसकी जांच की आवश्यकता है।

4. किए गए प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, क्योंकि इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है कि दोनों याचिकाकर्ता विचाराधीन गांव से संबंधित नहीं हैं और सूचना के स्रोत और शिकायत करने के आधार/कारणों का खुलासा नहीं किया गया है, इसके अलावा यह तथ्य कि याचिकाकर्ता संख्या 1 का आंगनवाड़ी में से एक की बेटी के साथ वैवाहिक विवाद है, यह भी विवादित नहीं है, हमें नहीं लगता कि वर्तमान याचिका वास्तविक है।

5. याचिका में कोई सार नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

फरवरी 6, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"